

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पिलेश व भू अभिलेख निरीक्षक पिलेश की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पिलेश पटवार हल्का पिलेश तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2023-26 में खाता संख्या 791, 792, 868, 926 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	पिलेश	791 792 868 926	रघुनाथ पुत्र मोहन भाल कुमावर	रघुनाथ पुत्र मोहन भाल कुमावर

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2023/52

दिनांक:- 15/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री रघुनाथ पुत्र मोहन भाल कुमावर

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा



PP2023/52  
2023/489